न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मुख्यालय जयुपर।
बइजलासः अपर्णा शर्मा आर.ए.एस

दर्ज संख्या 12/2020

निर्णय दिनांक : 6/1/2021

लच्छी बनाम बिरदीराम वगै0

बाजदायरी प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी

प्रार्थीया लच्छी देवी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध न्यायालय हाजा मे एक दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अंतर्गत धारा 53, 88, 188 आरटीए 1955 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 06.03.2020 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया। आदेशिका में न्यायालय के आदेश दिनांक 13.11.2019 की पालना में रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तलबाना पेश नही किये जाने के कारण ऐसा आदेश पारित किया गया है।

प्रार्थीया जयपुर से दूर ग्रामीण क्षेत्र में रहती है एवं ग्रामीण परिवेश की है एवं राजस्व अदालतों में हडताल चलने के कारण उपस्थित नहीं हो सकी एवं वकील से संपर्क नहीं करने के कारण उनकी भी अनुपस्थिति के कारण यह वाद खारिज हुआ है जिसका खामियाजा प्रार्थीया न्याय हित में भुगतने से बचाया जावे। लॉकडाउन के कारण बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलंब को मनसुख करने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व वाद संख्या 23/2016 उनवानी लच्छी देवी बनाम बिरदीराम एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.03.2020 को अपास्त किया जाकर उक्त वाद को सुनवाई हेतु पुनः नंबर पर लिये जाने का आदेश फरमाया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 47, 48, 49 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि बाजदायरी के मामलों में भी लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं तथा काफी विलंब से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.02.03 15:16:34 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्तागण उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया ने दौराने बहस कथन किया कि हडताल के कारण न्यायालय के आदेश दिनांक 13.11.2019 की पालना नहीं की जाने से प्रार्थीया के वाद

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

को खारिज किया गया जिसे पुनः नंबर पर लिया जावे। जिसके जवाब में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उन विशेष परिस्थितियों में लाया जा सकता है जब मूल वाद को आदेश 9 नियम 2 सीपीसी , आदेश 9 नियम 3 सीपीसी अथवा आदेश 9 नियम 8 सीपीसी में खारिज किया गया हो जबकि प्रार्थीया का वाद आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है। यह प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी विधि संगत नहीं है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। मूल पत्रावली संख्या 25/2016 उनवानी लच्छी देवी बनाम बिरदीराम वगै0 दिनांक 06.03.2020 को अंतर्गत आदेश 9 नियम 5 सीपीसी में खारिज किया गया था। सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 9 नियम 9 में स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 उन्हीं परिस्थितियों में लाया जा सकेगा जब वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत खारिज हुआ हो। चूंकि दावा आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के अंतर्गत खारिज किया गया है जो कानूनन रेस्टोर नहीं किया जा सकता। अतः नया दावा पेश करने की स्वतंत्रता के साथ यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार की जाकर नंबर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.02.03 15:16:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner